

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.05.2021

गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मु0अ0सं0-165/21, धारा 304 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त— सतगुरु प्रसाद को मुखबिर खास की सूचना पर प्रा0वि0 सुमेरपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 25.05.2021 को जमीनी विवाद के चलते वादी राहुल पुत्र शिवकुमार नि0 पश्चिमपुरवा मौजा सुमेरपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के पिता को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे वादी के पिता की मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सतगुरु प्रसाद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद नि0 सुमेरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-165/21, धारा 304 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 जयप्रकाश सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.05.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 27.05.2021 को इटियाथोक के उ0नि0 सत्यनारायण मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मो0 हलीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अल्प्रासेफ की 250 टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मो0 हलीम पुत्र मुजीम नि0 धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-161/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. अल्प्रासेफ की 250 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 सत्यनारायण मय टीम।

